दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को अपरान्ह 03:30 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ दिनांक 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :–

1. श्री प्रताप सिंह शाह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. श्री मस्तू दास, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. श्री बी.एस. रावत, अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
3. श्री सत्यपाल, प्रतिनिधि / जिला अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी
4. श्री शिव राम, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
4. श्री पंकज शर्मा, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी।
5. श्री मनीष गेरा, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी।
6. श्री अनन्त आकाश, राज्य समन्वयक, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)
7. श्री गौरव चौधरी, प्रतिनिधि, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
8. श्री मथुरा दत्त जोशी, प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।

सर्वप्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सभी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या–23/2022-ERS (Vol-II) दिनांक 25 जुलाई, 2022 द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्धारित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम से दिनांक 03 अगस्त, 2022 को आहूत बैठक के क्रम में पुनः निम्नानुसार विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया :–

Revision Activities (पुनरीक्षण कार्यक्लॉप)		
1.	Publication of Integrated draft electoral roll. एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन	09.11.2022 (Wednesday)
2.	Period for filing claims & objections दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि	09.11.2022 (Wednesday) to 08.12.2022 (Thursday)
3.	Special campaign dates विशेष अभियान की तिथियां	19.11.2022 (Saturday) 20 .11.2022 (Sunday) 03.12.2022 (Saturday) 04.12.2022 (Sunday)
4.	Disposal of claims and objections दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण	By 26.12.2022(Monday)
5.	(i) Checking of health parameters and obtaining Commission's pennission for final publication (ii) Updating database and printing of supplements	By 03.01.2023(Tuesday)
6.	Final publication of electoral roll निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन	05.01.2023 (Thursday)

2) मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को ध्यान उन्हें उपलब्ध करायी गयी निम्न सामग्री की ओर आकृषित करते हुए बैठक में एजेण्डा के बिन्दुओं के साथ विचार–विमर्श प्रारम्भ किया गया।

1. पुनरीक्षण से सम्बन्धित एजेण्डा एवं विभिन्न सांख्यकीय सूचनाएं कुल 15 पेज।
2. संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक के उद्धरण।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 से 25 तक के उद्धरण।
4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के नियम 1 से 27 तक के उद्धरण।
5. 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की आलेख्य निर्वाचक नामावली की Without Image PDF पैन ड्राइव में।
6. 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सर्विस निर्वाचक नामावली की आलेख्य निर्वाचक नामावली की PDF पैन ड्राइव में।
7. दिनांक 05 जनवरी, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 के मध्य विभिन्न कारणों से अपमार्जित (Deleted) किये गये मतदाताओं का जनपदवार, विधान सभा क्षेत्रवार एवं मतदेय स्थलवार विवरण PDF पैन ड्राइव में।
8. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदेय स्थलों की सूची की PDF पैन ड्राइव में।

3) बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों को पुनः अवगत कराया गया कि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 एवं 1951 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 में संशोधन के फलस्वरूप अब निर्वाचक नमावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार अर्हता तिथियां (01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर) नियत की गयी है। 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर पुनरीक्षण की अवधि दिनांक 09 नवम्बर, 2022 से 08 दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त फार्म–6, 6क, 7 एवं 8 का सभी ERO के द्वारा 26 दिसम्बर, 2022 तक नियमानुसार निस्तारण कर नामावली में सम्मिलित किया जाएगा, या किसी नाम को हटाया जाएगा और किसी प्रविष्टि को संशोधित–स्थानान्तरित करते हुए निर्वाचक नामावली का 05 जनवरी, 2023 को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा । अर्थात 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के सभी परिवर्धन, विलोपन एवं संशोधन अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली में परिलक्षित होंगें। 01 अप्रैल, 2023, 01 जुलाई, 2023 एवं 01 अक्टूबर, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर प्राप्त फार्म–6, 6क, 7 एवं 8 का सभी ERO के द्वारा इन अर्हक तिथियों के पश्चात ही नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा और तदनुसार ही ऐसे आवेदनों के सापेक्ष किसी नागरिक का नाम नामावली में सम्मिलित किया जाएगा, या किसी नाम को हटाया जाएगा और किसी प्रविष्टि को संशोधित/स्थानान्तरित किया जा सकेगा आदि...। कोई भी अर्ह नागरिक जो 01 अप्रैल, 2023, 01 जुलाई, 2023 एवं 01 अक्टूबर, 2023 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा है, निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए दिनांक 09 नवम्बर से 08 दिसम्बर, 2022 तक प्रारूप–6 पर अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे किसी भी नागरिक को अब पूरे वर्ष प्रतिक्षा करने की आवश्यकता नहीं हैं

4) मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा पुनः अवगत कराया गया कि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम में उक्तानुसार संशोधन के फलस्वरूप फार्म–6, 7, 6ख एवं 8 में भी संशोधन हुआ है और संशोधित प्रारूप 01 अगस्त, 2022 से प्रभावी हो गए हैं। संशोधित फार्मों का उपयोग निम्न प्रकार किया जाएगाः–

- फार्म–6 प्रथमबार किसी अर्ह नागरिक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए आवेदन।
- फार्म–6ख, निर्वाचक नामावली प्रमाणन के लिए आधार नम्बर की सूचना प्रदान करना (स्वैच्छिक)

- फार्म–7 विद्‌यमान निर्वाचक नामावली से किसी नाम को हटाने या निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने प्रस्ताव पर आक्षेप के लिए आवेदन।
- फार्म–8
  - ☐ विद्‌यमान निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अशुद्धि को शुद्ध कराने के लिए,
  - ☐ मतदाता फोटो पहचानपत्र बदलने के लिए,
  - ☐ PwD Mark करने के लिए,
  - ☐ निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अथवा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर निवास परिवर्तन होने के फलस्वरूप पता बदलने के लिए आवेदन।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि, विद्‌यमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किसी भी निर्वाचक को एक बूथ से किसी दूसरे बूथ में या एक निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में अपना नाम स्थानान्तरित करवाने के लिए फार्म–6 या फार्म–7 भरने की आवश्यकता नहीं है ऐसे किसी भी निर्वाचक को अब केवल फार्म–8 में ही नियमानुसार आवेदन करना होगा।

बैठक में अवगत कराया गया कि, उत्तराखण्ड राज्य की सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार आलेख्य निर्वाचक नामावली (सर्विस निर्वाचक नामावली सहित) सभी 11647 मतदेय स्थलों, ERO & AERO कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय सहित विभागीय वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर भी सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध है।

5) मतदेय स्थलों के Rationalization के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि, आयोग द्वारा तद् विषयक समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा राजनैतिक दलों के साथ समय–समय पर बैठक पर मतदेय स्थलों के संबंध में सुझाव एवं संशोधन प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे जिन्हें इस कार्यालय के पत्र संख्या–3993 दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 द्वारा निम्न प्रकार आयोग के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था:–

वर्तमान कुल मतदेय स्थल	02 किमी. से अधिक पैदल दूरी के कारण नए प्रस्तावित	मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होने पर नए प्रस्तावित	एक ही भवन पर एक से अधिक मतदेय स्थलों में से कतिपय को उसी भवन में दूसरे में समायोजत करना	1500 से अधिक मतदाता होने पर कतिपय अनुभागों को उसी भवन के दूसरे मतदेय स्थल पर समायोजित करना	शिक्षण संस्थान के उच्चीकरण के फलस्वरूप नाम परिवर्तन के प्रस्ताव	भवन के जीर्ण–शीर्ण या क्षतिग्रस्त होने पर परिवर्तन के प्रस्ताव	प्रस्तावित संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप कुल मतदेय स्थल
11647	**42**	**04**	**119**	**63**	**172**	**64**	**11574**

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदनोपरान्त राज्य में वर्तमान मतदेय स्थलों के सापेक्ष कुल–73 मतदेय स्थल समायोजित/समाविष्ट होकर कुल–11574 रह जाते किन्तु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2023 की सम्पूर्ण प्रक्रिया को Pilot Project के रूप में उत्तराखण्ड सहित चार राज्यों यथा आसाम, बिहार एवं गोवा में ERO Net Vr.2.0 में सम्पादित करने का निर्णय लिया गया फलस्वरूप तकनीकी कारणों से वर्तमान SSR में मतदेय स्थलों के उपरोक्त संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन प्रस्तावों को स्थगित रखा गया है। अर्थात वर्तमान पुनरीक्षण 11647 मतदेय स्थलों पर ही सम्पादित किया जायेगा।

6) बैठक में पुनः अवगत कराया गया कि दिनांक 05 जनवरी, 2022 के पश्चात निर्वाचक नामावली से हटाए गए कुल 1,69,529 निर्वाचकों की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार एवं मतदेय स्थलवार सूची की PDF आप सभी राजनैतिक दलों को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करा दी गयी है

और यह सूची सभी ERO & AERO कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय सहित विभागीय वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर भी सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध है। सभी राजनैतिक दलों एवं जनसामान्य से अनुरोध है कि इस सूची की अवश्य जाँच कर यह पुष्टि कर लें कि कहीं त्रुटिवश किसी निर्वाचक का नाम विलोपित तो नहीं हुआ है।

7) बैठक में अवगत कराया गया कि, निर्वाचक नामावली में 18–19 आयुवर्ग की Projected Population के सापेक्ष विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में 18–19 आयुवर्ग के कुल 3,16,674 युवाओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का लक्ष्य है जिसमें लगभग केवल 1.95 लाख 18 वर्ष के युवा सम्मिलित हैं। यह भी अवगत कराया गया कि, उत्तराखण्ड राज्य में Census Gender Ratio 953 एवं Elector Gender Ratio 926 है इस प्रकार कुल 27 का Gender Gap है। अनुमानित जनसंख्या के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य का EP Ratio (अर्थात प्रतिहजार जनसंख्या पर पंजीकृत निर्वाचकों की कुल संख्या) Male = 703 (70.30%), Female = 683 (68.30%), Total = 693 (69.30%) है, जनपद उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर का EP Ratio राज्य औसत से कम है तथा जनपद चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढवाल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ, बागेश्वर, अल्मोड़ा व चम्पावत का EP Ratio राज्य औसत से अधिक है।

8) उपस्थित पदाधिकारियों को वर्तमान निर्वाचक नामावली में सामान्यतः **2%** से अधिक अपमार्जन की स्थिति तथा किसी मतदेय स्थल में **4%** से अधिक परिवर्धन की स्थिति का विवरण उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि, इन सभी मतदेय स्थलों की संबंधित ERO/AERO द्वारा समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी अनर्ह नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हुआ है या किसी अर्ह निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली से हटाया तो नहीं गया।

9) बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्वाचक नामावली में आधार प्रमाणीकरण की प्रगति के संबंध में बताया गया कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 तक शत–प्रतिशत निर्वाचकों के आधार एकत्र करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत 70.23% निर्वाचकों का निर्वाचक नामावली में आधार प्रमाणीकरण का कार्य ही अभी तक पूर्ण हो पाया है। राज्य में शत्प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति में भी राजनैतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी दलों अपने स्थानीय कार्यकताओं के माध्यम से जनता को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। इसके साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शत–प्रतिशत निर्वाचकों के यूनिक मोबाईल नम्बर एकत्र करने की अपेक्षा की गयी है, अर्थात प्रत्येक निर्वाचक का अलग (Separate) मोबाइल नम्बर उपलब्ध होना चाहिए। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में आधार प्रमाणीकरण की तरह प्रत्येक निर्वाचक का मोबाइल नम्बर भी एकत्र किए जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। यूनिक मोबाइल नम्बर की उपलब्धता से कोई भी निर्वाचक ऑन लाईन अपना फोटो पहचान पत्र डॉउनलोड कर सकेगा।

10) बैठक में सभी उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली को शत् प्रतिशत शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने हेतु प्रत्येक बी.एल.ओ. का राजनैतिक दलों के द्वारा मतदेय स्थलवार नियुक्त किये गये बी.एल.ए. के साथ निरन्तर समन्वय होना आवश्यक है। समस्त राजनैतिक दलों से राज्य की सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 11647 मतदेय स्थलों पर शीघ्राति–शीघ्र BLA नियुक्त करने का आग्रह किया गया है और नियुक्त किए गए BLA की सूची संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय (उप जिलाधिकारी कार्यालय) को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया। जिस पर प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को BLA की सूची उपलब्ध करा दी जायेगी।

11) उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से, BLA को Bulk में इस प्रतिबंध के साथ आवेदन दाखिल करने की अनुमति प्रदान की है कि, BLA एक समय में/एक दिन में BLO को 10 से अधिक फार्म जमा नहीं करेगा। यदि कोई BLA दावे/आपत्तियों को

दाखिल करने की पूरी अवधि के दौरान 30 से अधिक आवेदन/फार्म दाखिल करता है, तो ERO/AERO स्वयं क्रॉस सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा BLA इस घोषणा के साथ आवेदन फार्मों की सूची भी प्रस्तुत करेगा कि उसने व्यक्तिगत रूप से आवेदन फार्म के विवरणों को सत्यापित किया है और वह संतुष्ट है कि वह सही हैं।

12) मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा राजनैतिक दलों अनुरोध किया गया कि राज्य के शत–प्रतिशत अर्ह नागरिकों के नाम नियमानुसार निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने, तथा विधान सभा निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाए रखने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में अपने बूथ/ब्लॉक/ मण्डल/तहसील/जनपद स्तरीय कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से अवगत कराते हुए यथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

13) बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि आयोग द्वारा संशोधित कार्यक्रमानुसार दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावली को प्रकाशन के उपरान्त दावे/आपत्तियों को सम्बन्धित मतदेय स्थल, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय पर प्राप्त किया जायेगा। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) को दावों और आपत्तियों की सूची प्ररूप 9, 10, 11, 11क व 11ख में तैयार कर एक प्रति राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने तथा उक्त सूची जनसामान्य के अवलोकनार्थ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाले जाने के निर्देश दिये गये है। उपस्थित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वह अपने जनपद स्तरीय अधिकृत पदाधिकारियों को उक्त सूची प्राप्त करने हेतु निर्देशित कर दें।

14) बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया कि पुनरीक्षण कार्य के सुव्यस्थित संचालन एवं सम्पादन के लिए आयोग द्वारा दोनों मण्डलों के मण्डलायुक्तों (गढ़वाल क्षेत्र में अपर आयुक्त, गढ़वाल को भी) को निर्वाचक नामावली प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कम से कम तीन बार अपने मण्डल के सभी जनपदों का भ्रमण कर पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण कर आयोग को समय–समय पर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगें।

अन्त में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पादित कराने एवं शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के अनुरोध साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

संख्या : 4154/ XXV-97/2022
देहरादून, दिनांक : 11 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि : प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री/सचिव, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग हेतु प्रेषित।

(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2023 के संबंध में अपरान्ह 03:00 बजे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की उपस्थिति

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	दल सम्बद्धता	मोबाईल नम्बर	ईमेल आई.डी.	हस्ताक्षर
1	श्री सत्यपाल	बहुजन समाज पार्टी	9412059284		[signature]
2	श्री शिव राम	बहुजन समाज पार्टी	9897299973		[signature]
3	श्री राजीव शर्मा	भारतीय जनता पार्टी			
4	श्री पंकज शर्मा	भारतीय जनता पार्टी	8126999998		[signature]
5	श्री विक्रम सिंह पुण्डीर	कम्प्यूनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया			
6	श्री आर.सी. बडोनी	कम्प्यूनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया			
7	श्री अनन्त आकाश	कम्प्यूनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट)	9410365899		[signature]
8	श्री संजय गैरोला	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी			
9	श्री गौरव चौधरी	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	9557376653		[signature]
10	श्री मथुरा दत्त जोशी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	9412965208		[signature]
11	श्री अमरजीत सिंह	इण्डियन नेशनल कांग्रेस			
12	श्री मनीष [illegible]	भा ज.पा	9219900550		[signature]
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

[signature]
9.XI.22
JCEO

विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2023, दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को अपरान्ह 03:00 बजे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को निम्न सूचनाएं/सामग्री उपलब्ध करायी गयी :–

1. विशेष पुनरीक्षण से सम्बन्धित एजेण्डा एवं विभिन्न सांख्यकीय सूचनाएं कुल 15 पृष्ठ।
2. संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक के उद्धरण।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 से 25 तक के उद्धरण।
4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के नियम 1 से 27 तक के उद्धरण।
5. 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की आलेख्य निर्वाचक नामावली की Without Image PDF पैन ड्राइव में।
6. 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सर्विस निर्वाचक नामावली की आलेख्य निर्वाचक नामावली की PDF पैन ड्राइव में।
7. दिनांक 05 जनवरी, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 के मध्य विभिन्न कारणों से अपमार्जित (Deleted) किये गये मतदाताओं का जनपदवार, विधान सभा क्षेत्रवार एवं मतदेय स्थलवार विवरण PDF पैन ड्राइव में।
8. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदेय स्थलों की सूची की PDF पैन ड्राइव में।

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	दल सम्बद्धता	मोबाईल नम्बर	ईमेल आई.डी.	प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर
1	श्री सत्यपाल	बहुजन समाज पार्टी			
2	श्री राजीव शर्मा	भारतीय जनता पार्टी			
3	~~श्री विक्रम सिंह पुण्डीर~~ SURBHI GUPTA	कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया	8329441739		Surbhi
4	श्री अनन्त आकाश	कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट)			
5	श्री ~~संजय गैरोला~~ Gaurav Chaudhary	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	9557376653		Gauravchaudhary
6	श्री मथुरा दत्त जोशी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	9412965200		
7	श्री पंकज शर्मा	भा ज पा	8126999998		
8					
9					

9.XI.22
JCEO